# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 89 / 2020 / राजस्व वाद

उनवान

1. कैलाश पि. मांगीलाल उर्फ मांग्या जाति बलाई नि. दुबलिया तहसील रायपुर
2. मोतीलाल पि. मांगीलाल उर्फ मांग्या जाति बलाई नि. दुबलिया तहसील रायपुर

– वादीगण

बनाम

1. नारायण पि. मांगीलाल उर्फ मांग्या जाति बलाई नि. दुबलिया तहसील रायपुर
2. श्याम उर्फ श्यामलाल पि. मांगीलाल उर्फ मांग्या जाति बलाई नि. दुबलिया तहसील रायपुर
3. हीरालाल पि. देवीलाल माता तुलसीबाई जाति बलाई नि. तीतरवासा तहसील झालरापाटन
4. मोहनलाल पि. जगन्नाथ जाति बलाई नि. डावल तहसील रायपुर
5. धापूबाई बेवा जगन्नाथ जाति बलाई नि. डावल तहसील रायपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

–प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 ए, 188, 209 रा.टी.एक्ट**

उपरिथति – वकील वादीगण – श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील प्रतिवादीगण – श्री रमीज रजा कुरेशी

**निर्णय** **दिनांक :** 24/01/2023

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा ग्राम बरखेडी जदीद तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 41 की आराजी ख.नं. 83 रकबा 0.6323 हेक्टर भूमि एवं ग्राम हनोतिया दुबलिया तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2075–78 के खाता सं. 48 की आराजी ख.नं. 5 रकबा 2.8581 हेक्टर भूमि के संबंध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 88, 91, 92 ए, 188, 209 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात रामा [illegible] की है जिसके एक पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल तथा पुत्री [illegible] बाई थी। रामा [illegible] से पूर्व ही मांग्या उर्फ मांगीलाल की मृत्यु हो चुकी थी। जब रामा फौत हुआ तब उसकी आराजी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:09:20 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with CamScanner

नामा. दर्ज किया गया जिसमें ग्राम हनोतिया दुबलिया के ख.नं. 5 में रामा के मृतक पुत्र मांग्या के बजाय उसके पुत्र प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम दर्ज किया गया जबकि मांग्या उर्फ मांगीलाल के चार पुत्र नारायण, श्यामा, कैलाश, मोतीलाल थे। बाद में भूलीबाई की मृत्यु हुई तो उसके फोती नामा. में वादीगण का नाम दर्ज किया गया एवं वादीगण को नारायण का पुत्र बताकर इन्द्राज किया गया जबकि नारायण अभी भी जिंदा है एवं वह वादीगण का भाई है एवं मृतक भूलीबाई वादीगण की माता है। इस प्रकार ग्राम हनोतिया दुबलिया के ख.नं. 5 रकबा 2.8581 हेक्टर में वादीगण का नाम प्रतिवादी सं. 1 व 2 के साथ बराबर के हिस्से से दर्ज किया जावे।

इसी प्रकार ग्राम बरखेडी जदीद के ख.नं. 83 रकबा 0.6323 हेक्टर भूमि में मांग्या का फोती नामा. दर्ज किया गया जिसमें वादीगण के नाम दर्ज नहीं कर मात्र प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज किये गये जो कि कानूनी भूल सुधार योग्य है।

मृतक खातेदार रामा पि. अमरा का पारिवारिक शजरा निम्नानुसार है –

रामा पि. अमरा फोत

| मांग्या पुत्र फोत | तुलमाबाई पुत्री फोत | भूलीबाई पुत्री फोत |
|---|---|---|
| ↓ | ↓ | ↓ |
| नारायण प्र.सं. 1 | हीरालाल प्र.सं. 3 | जगन्नाथ फोत |
| श्यामा प्र.सं. 2 | | ↓ |
| कैलाश वादी 1 | | मोहनलाल प्र.सं. 5 |
| मोतीलाल वादी 2 | | धापूबाई प्र.सं. 5 |
| भूलीबाई बेवा फोत | | |

तुलमाबाई पुत्री रामा एवं भूलीबाई बेवा रामा की मृत्यु हो चुकी है। वाद कारण दिनांक 10.11.2020 को उस समय उत्पन्न हुआ जब वादीगण के राजस्व रिकार्ड में पिता का नाम गलत दर्ज होने की जानकारी प्राप्त हुई।

अतः वाद वादीगण स्वीकार कर ग्राम हनोतिया दुबलिया तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2075–78 के खाता सं. 48 की आराजी ख.नं. 5 रकबा 2.8581 हेक्टर भूमि में वादीगण के पिता का नाम नारायण के स्थ[illegible]ाल किया जाकर हिस्सा बराबर का दर्ज किया जावे एवं ग्राम बरखेडी जदीद तह[illegible] रायपुर की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 41 की आराजी ख.नं. 83 रकबा 0.6323 हेक्टर भूमि में वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:09:20 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)
Scanned with CamScanner

सं. 1 को 1/16 हिस्सा, वादी सं. 2 को 1/16 हिस्सा , प्रतिवादी सं. 1 को 1/16 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 को 1/16 हिस्सा का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन से तलब करने पर प्रतिवादी सं. 2 व 3 की ओर से बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 1 , 4 , 5 की ओर से वकील श्री रमीज रजा कुरेशी ने वकालातनामा प्रस्तुत कर स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया।

वादीगण की ओर से ग्राम हनोतिया दुबलिया का नामा सं. 60 , 133 , जमाबंदी खाता 48 , जमाबंदी खाता 65 , 32, 32 , 32 की नकले एवं ग्राम बरखेडी जदीद के खाता सं. 41 , 50, 51 एवं नक्शा ट्रेस , खसरा गिरदावरी , नामा सं. 51 की नकले साक्ष्य दस्तावेज में पेश किये जिस पर प्रदर्श डाले गये। साक्ष्य वादी में कैलाश , नारायण , मोतीलाल के शपथ पत्र व बयान प्रस्तुत किये गये।

वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।

वाद पत्र, स्वीकरात्मक जवाब , गवाहान के शपथ पत्र/बयान एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं विद्वान उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत वाद में यह पाया कि ग्राम बरखेडी जदीद तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 41 की आराजी ख.नं. 83 रकबा 0.6323 हेक्टर भूमि एवं ग्राम हनोतिया दुबलिया तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2075–78 के खाता सं. 48 की आराजी ख.नं. 5 रकबा 2.8581 हेक्टर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है जो कि रामा पि. अमरा से प्राप्त हुई है। रामा पि. अमरा का फोती नामान्तरण दर्ज करते समय की गई गलती के कारण वादीगण का नाम व हिस्सा सही दर्ज नहीं हुआ। मृतक रामा पि. अमरा के चार पुत्र नारायण, श्यामा, कैलाश, मोतीलाल व बेवा भूलीबाई थी परन्तु नामा. सही वारीसान के नाम दर्ज नहीं किया गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो अनुसार बाप दादा की जमीन में पुत्रो का बराबर का हक व हिस्सा जन्म से निहित होता है। प्रतिवादीगण भी इस तथ्य को स्वीकार करते है कि मृतक रामा पि. अमरा के चार पुत्र नारायण, श्यामा, कैलाश, मोतीलाल थे जिनका [illegible] आराजी में बराबर का हक व हिस्सा है। प्रतिवादी सं. 1 , 4 , 5 द्वारा [illegible] जवाब अनुसार वाद वादीगण डिक्री करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:09:20 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with CamScanner

## आदेश

अतः प्रस्तुत वाद में वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम हनोतिया दुबलिया तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2075–78 के खाता सं. 48 की आराजी ख.नं. 5 रकबा 2.8581 हेक्टर भूमि में वादीगण के पिता का नाम नारायण के स्थान मांगीलाल किया जाकर हिस्सा बराबर का दर्ज किया जावे एवं ग्राम बरखेडी जदीद तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 41 की आराजी ख.नं. 83 रकबा 0.6323 हेक्टर भूमि में वादी सं. 1 को 1/16 हिस्सा, वादी सं. 2 को 1/16 हिस्सा , प्रतिवादी सं. 1 को 1/16 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 को 1/16 हिस्सा का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है।

पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अभिषेक चारण )
**उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा**
**जिला झालावाड़ ( राज. )**

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * पिड़ावा जिला झालावाड़ *

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:09:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी )

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 89/2020/राजस्व वाद

उनवान

1. कैलाश पि. मांगीलाल उर्फ मांग्या जाति बलाई नि. दुबलिया तहसील रायपुर
2. मोतीलाल पि. मांगीलाल उर्फ मांग्या जाति बलाई नि. दुबलिया तहसील रायपुर

– वादीगण

बनाम

1. नारायण पि. मांगीलाल उर्फ मांग्या जाति बलाई नि. दुबलिया तहसील रायपुर
2. श्याम उर्फ श्यामलाल पि. मांगीलाल उर्फ मांग्या जाति बलाई नि. दुबलिया तहसील रायपुर
3. हीरालाल पि. देवीलाल माता तुलसीबाई जाति बलाई नि. तीतरवासा तहसील झालरापाटन
4. मोहनलाल पि. जगन्नाथ जाति बलाई नि. डावल तहसील रायपुर
5. धापूबाई बेवा जगन्नाथ जाति बलाई नि. डावल तहसील रायपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

–प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 ए, 188, 209 रा.टी.एक्ट**

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील प्रतिवादीगण – श्री रमीज रजा कुरेशी

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ..........................................व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत वाद में वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम हनोतिया दुबलिया तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2075–78 के खाता सं. 48 की आराजी ख.नं. 5 रकबा 2.8581 हेक्टर भूमि में वादीगण के पिता का नाम नारायण के स्थान मांगीलाल किया जाकर हिस्सा बराबर का दर्ज किया जावे एवं ग्राम [illegible] तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 41 की आराजी ख.नं. 83 रकबा [illegible]23 हेक्टर भूमि में वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:09:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)



Scanned with CamScanner